उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1042/ग्यारह-9(29)/14-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(137)-2015

लखनऊः दिनांकः 31 जुलाई, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 01 अगस्त, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या-43 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	**वस्तु का नाम एवं विवरण**
1	**2**
43	पतंग, मांझा एवं पतंग उड़ाने की चर्खी ; **बांस की तीली (फट्टी)**

(ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या-13 की प्रविष्टि में शब्द **"बांस की तीली (फट्टी)"** को विलोपित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

बीरेश कुमार

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/